भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 102
जिसका उत्तर मंगलवार 11 दिसम्बर, 2018 को दिया जाना है

फेम इंडिया योजना

102. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और हाइब्रिड वाहनों के निर्माण (फेम इंडिया) के द्वितीय चरण की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इस योजना की शुरुआत करने के लिए क्या समय-सीमा तय की गई है;

(ख) सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और स्थान-वार ई-वाहनों के लिए स्थापित की जाने वाली चार्जिंग अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन चार्जिंग इकाइयों की स्थापना हेतु पर्यटन केन्द्रित राज्यों के लिए कोई विशेष प्रावधान किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार (फेम इंडिया) योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत सार्वजनिक यातायात के लिए इलेक्ट्रिक बसों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में सुधार हेतु अनुसंधान और विकास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा ई-वाहनों का देश में ही विकास करने को बढ़ावा देने हेतु क्या उपाय किए गए हैं; और

(च) क्या सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई प्रोत्साहन राशि दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (च): (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम-इंडिया) योजना के चरण-II में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देने और बाजार सृजन तथा मांग संग्रह के द्वारा इलेट्रिक वाहनों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है। मसौदा योजना में चार्जिंग अवसंरचना, ईवी प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास और अधिक स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने सहित ईवी उद्योग की हॉलिस्टिक वृद्धि की परिकल्पना है। योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस समय, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के विनिर्माण को बढ़ावा देने और इसकी सतत् वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भारी उद्योग दिनांक 01 अप्रैल, 2015 (चरण-I) से एक योजना नामतः फेम-इंडिया योजना [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] का कार्यान्वयन कर रहा है, जो आरंभ में दिनांक 30 अप्रैल, 2017 तक थी। इस योजना को दिनांक 31 मार्च, 2019 अथवा फेम-II की अधिसूचना, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया है।

बल दिए जाने वाले मांग सृजन क्षेत्र के तहत, इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रेता को एक्सईवी की खरीद के समय डीलर द्वारा खरीद मूल्य में निश्चित छूट दी जाती है। एक्सईवी की खरीददारी हेतु उपलब्ध मांग प्रोत्साहन के ब्यौरे समय-समय पर संशोधित योजना की राजपत्र अधिसूचना के अनुबंध 13 में दिए गए हैं, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

****